FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

दिनेश कुमार बनाम शांति देवी

दावा - घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं. FT-145/2018 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वकील वादीगण श्री रामावतार बिजारणियां ने हाजिर अदालत होकर दावापत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 24/10/18 को पेश हो। 24/10/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-04/01/19-को पेश हो 04/01/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-04/02/19-को पेश हो 04/02/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ ~~अन्य कार्य में व्यस्त।~~ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-06/02/19-को पेश हो प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। 06/02/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-28/03/19-को पेश हो 28/03/19 वादी दिनेश पुत्र सुनिल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बाबत दावा विड्रा पेश करने पर पत्रावली किलाही पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य दिनांक 11/03/19 को आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है। तथा राजीनामा को दिनांक 11/03/19 को ही ₹500/- के स्टाम्प लेख बद्ध करा कर निष्पादित कर नोटरी से प्रमाणित करा लिया है। इसलिए उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं व विड्रा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा विड्रा की अनुमति प्रदान करें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर दावा विड्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुना गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)